
सेवा में,



आपके प्रार्थना पत्र दिनांक के संदर्भ में आपके प्रस्तावित भवन भवन निर्माण की प्लाट संठ विचार सैक्टर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से तक वैध है।
- मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका नीएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी बिना आपित के देय होगा।
- दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेगें कि जब यह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो।
- बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
- आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुध नहीं होना चाहिए।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके लथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नीएडा भवन नियमाविल के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नीएडा डारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- आवंटी मेजनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।